प्रेस नोट,
दिनांक 01.10.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त राहुल यादव पुत्र बेचू यादव नि0 ग्राम महरानीपुरवा कल्याणपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 30.09.2024 की रात्रि थाना नवाबगंज के उ0नि0 संजीव सिंह मय हमराह फोर्स के साथ रात्रि गस्त में शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु रवाना थे कि गड़रियन पुरवा मोड़ के पास एक व्यक्ति संदिग्ध दिखने पर रोक टोक कर चेक किया गया तो उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. राहुल यादव पुत्र बेचू यादव नि0 ग्राम महरानीपुरवा कल्याणपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

पंजीकृत अभियोग–

01- मु0अ0स0–323/2024, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 संजीव सिंह।
02. का0 अतुल सिंह।
03. का0 अमित सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 01.10.2024

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसला कर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–272/24, धारा 137(2),87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुधीर पाठक पुत्र परागदत्त पाठक नि0 ग्राम गदापुरवा मौजा डेहरास थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 28.09.2024 को थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लड़की स्कूल पढने हेतु गयी थी जो अभी तक वापस नही लौटी है। वादी की तहरीर पर थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 सुनील कुमार द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 01.10.2024 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आरोपी अभियुक्त सुधीर पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सुधीर पाठक पुत्र परागदत्त पाठक नि0 ग्राम गदापुरवा मौजा डेहरास थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–272/24, धारा 137(2),87 बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 सुनील कुमार यादव।
02. का0 सुरेश यादव।
03. म0का0 प्रिया गुप्ता।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 01.10.2024

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0–884/22, धारा 363 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अमन सिंह पुत्र रामकुमार सिंह नि0 शिवपुर थाना गौर जनपद बस्ती को रोडबेज बस स्टाप गोण्डा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 03.12.2022 को थाना को0 नगर क्षेत्र की रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी थी कि उनकी लड़की सूरज होटल के निकट कोचिंग पढने हेतु गयी थी। जो अभी तक वापस नही लौटी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 01.10.2024 को थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त अमन सिंह को रोडबेज बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। विवेचना/पीड़िता के बयान के उपरान्त धारा 366,376(2)ढ भादवि व 5एल/5जे(2)/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अमन सिंह पुत्र रामकुमार सिंह नि0 शिवपुर थाना गौर जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–884/22, धारा 363,366,376(2)ढ भादवि व 5एल/5जे(2)/6 पाक्सो एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 मनोज कुमार पाठक थाना को0 नगर।
02. का0 अवधेश यादव।
03. का0 संदीप भारती।

मीडिया सेल, गोण्डा।